न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम–रूक्मणि रियार सिहाग आई.ए.एस.

अपील संख्याः–08/2022 अन्तर्गत धारा 16 भरण–पोषण अधिनियम

राकेश कुमार भारती पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद आयु 43 वर्ष जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––अपीलार्थी

बनाम

1. तुलसी देवी पत्नी स्व. श्री महावीर प्रसाद जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––असल प्रत्यर्थीया

2. परमानन्द भारती पुत्र स्व० श्री महावीर प्रसाद जाति गुसाई निवासी अरडकी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

––तरतीबी प्रत्यर्थी

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 05.05.2022 द्वारा न्यायालय भरण पोषण कल्याण अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर, प्रकरण संख्या 07/2022 शीर्षक तुलसी देवी बनाम राकेश कुमार भारती व अन्य के सम्बन्ध में।

निर्णय **दिनांकः–05.07.2023**

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीया ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि प्रार्थीया, अप्रार्थीगण की उम्र 65 वर्ष वृद्ध एवं बीमार माता है तथा अप्रार्थीगण लालच किस्म के व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण खेती का काम करते है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थीया को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है और अप्रार्थीगण मकान व जमीन हड़पने के लिए प्रार्थीया के साथ मारपीट करते है तथा प्रार्थीया को भरण पोषण भी नहीं देते है तथा खाने को रोटी व पहनने को कपड़ा व बीमार होने पर उपचार नही करवाते है व प्रार्थीया को ना ही तो जमीन काश्त करने देते है और ना ही हिस्से ठेके पर देने देते है, हर रोज अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को मारपीट करते है और जान से मारने की धमकी देते है। प्रार्थीया को अप्रार्थीगण ने करीब 2 माह पहले घर से निकाल दिया है तथा प्रार्थया 5–10 दिन कभी किसी भी रिश्तेदार के पास रहकर अपना जीवन यापन कर रही है. जिसके लिए प्रार्थना पत्र की गई है कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण से भरण पोषण पेटे अप्रार्थीगण से कुल 10,000/– रूपये प्रतिमाह दिलाया जावे एवं प्रार्थीया को पहनने के कपड़े व भरण पोषण उपचार के लिए दिलवाया जावे। प्रार्थीया के पति महावीर के प्लाट है जिस पर अप्रार्थीगण ने कब्जा कर रखा है एवं कुल 18 बीघा भूमि है जिसमें प्रार्थीया का 1/4 हिस्सा भूमि है जिस पर भी अप्रार्थीगण काश्त नहीं करने देते है। अन्तरिम अनुतोष आन्तरिक अनुतोष भरण पोषण पेटे आवेदन पत्र दायर की दिनांक से अन्तरिम रूप से 2000–2000 रूपये प्रतिमाह दिलवाया जावे। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाबदेही के सम्बन्ध में अपीलार्थी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही प्रत्यर्थीया संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपने आदेश दिनांक 05.05.2022 के जरिए स्वीकार कर लिया गया। इसलिए प्रशनगत आदेश दिनांक 05.05.2022 अधीनस्थ न्यायालय कतई गलत विधि विरूद्ध एवं अपीलार्थी को साक्ष्य का कोई अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधिनियम की धारा 6(6) के अनुसार धारा 5 के प्रार्थना पत्र की सुनवाई से पूर्व समझौता अधिकारी के समक्ष मामले को रेफर किया जाना आवश्यक था परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस प्रकरण को समझौता

अधिकारी के समक्ष रेफर किए बिना ही अंतिम आदेश कर दिया गया जिससे भी यह स्पष्ट है कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिनियम के आज्ञापक प्रावधानों की पालना किए बिना ही प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है, जो कि निरस्त किए जाने योग्य है। प्रत्यर्थीया संख्या 1 को विधवा पेंशन 1,000/– रूपये प्रतिमाह मिलती है व प्रधानमंत्री समान विधि योजना के अन्तर्गत 6,000/– रूपये सालाना मिलता है। प्रत्यर्थीया संख्या 01 1.2770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्वयं काश्त करती है, जिसकी फसल की आय से अपना जीवन गुजर बसर कर रही है, इन तथ्यों की ओर ध्यान ना कर आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो अपारत किये जाने योग्य है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2022 के एक माह बाद ही प्रार्थी व प्रार्थी के भाई ने पंचायत कर अपनी माता प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपना पास रख लिया है, जिसकी सेवा चाकरी प्रत्यर्थी संख्या 2 व प्रार्थी कर रहे हैं, इस तथ्य की ओर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.05.2022 अपास्त फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई है। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अपीलार्थी जरिये न्यायमित्र श्री भगवान दास रोहिला एवं प्रत्यर्थीया संख्या 1 न्याय मित्र श्री देवीलाल भाटी वकील के साथ स्वयं उपस्थित। उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी जरिये न्यायमित्र अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रत्यर्थीया संख्या 1 को विधवा पेंशन 1,000/– रूपये प्रतिमाह मिलती है व प्रधानमंत्री समान विधि योजना के अन्तर्गत 6,000/– रूपये सालाना मिलता है। प्रत्यर्थीया संख्या 01 1.2770 हैक्टेयर कृषि भूमि स्वयं काश्त करती है, जिसकी फसल की आय से अपना जीवन गुजर बसर कर रही है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.05.2022 के एक माह बाद ही अपीलार्थी व उसके भाई द्वारा पंचायत कर अपनी माता को प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने पास रख लिया है, जिसकी सेवा चाकरी प्रत्यर्थी संख्या 2 व अपीलार्थी कर रहे हैं, इस तथ्य की ओर ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थीया संख्या 1 ने जरिये न्यायमित्र उपस्थित होकर अपीलार्थी के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि अपीलार्थी ने प्रत्यर्थीया संख्या 1 को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिया है और अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 मकान व जमीन हड़पने के लिए प्रत्यर्थीया संख्या 1 के साथ मारपीट करते है तथा प्रत्यर्थीया संख्या 1 को भरण पोषण भी नहीं देते है तथा खाने को रोटी व पहनने को कपड़ा व बीमार होने पर उपचार नहीं करवाते है व प्रत्यर्थीया संख्या 1 को ना ही तो जमीन काश्त करने देते है और ना ही हिस्से ठेके पर देने देते है, प्रत्यर्थीया संख्या 1 के पति महावीर के प्लाट है जिस पर अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 ने कब्जा कर रखा है एवं कुल 18 बीघा भूमि है जिसमें प्रत्यर्थीया संख्या 1 का 1/4 हिस्सा भूमि है जिस पर भी अपीलार्थी व प्रत्यर्थी सं. 02 काश्त नहीं करने देते है।

दोनों पक्षकारों के कथनों पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित आदेश दिनांक 05.05.2022 अपास्त फरमाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी के कथनानुसार प्रत्यर्थीया सं. 01 को वृद्धावस्था पेंशन व पीएम. किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिलता है और 1.2770 हैक्ट. कृषि भूमि पर स्वयं काश्त करती है, जिसकी फसल से आय से अपना जीवन यापन करती है। इसके अतिरिक्त दोनों भाइयों ने पंचायत कर अपनी माता को प्रत्यर्थी सं. 02 के पास रख लिया है। अपीलार्थी द्वारा पेंशन व पीएम. किसान निधि योजना का लाभ लेना स्पष्ट है लेकिन प्रत्यर्थीया द्वारा स्वयं काश्त करना असत्य प्रतीत होता है। प्रत्यर्थीया को पंचायत कर अपने साथ रखने के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया। प्रत्यर्थीया संख्या 1 ने स्वयं उपस्थित होकर कथन किया कि उसको भरण–पोषण भी नहीं देते है तथा खाने को रोटी व पहनने को कपड़ा व बीमार होने पर उपचार नहीं करवाते है व ना ही तो जमीन काश्त करने और ना ही हिस्से ठेके पर देने देते है। प्रत्यर्थीया संख्या 1 की वृद्धावस्था एवं शारीरिक दृष्टि के दृष्टिगत मेहनत–मजदूरी करने में भी असमर्थ प्रतीत होता है। प्रत्यर्थीया संख्या 1 को रहने के लिए आवास व मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना दोनों पुत्रों का नैतिक दायित्व है। इसलिए प्रत्यर्थीया संख्या 1 द्वारा

अधीनस्थ न्यायालय में जीवन–यापन, बीमारी व दैनिक सुविधाओं के लिए अपने पुत्रों से भरण–पोषण की मांग की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। उक्त विवेचनानुसार यह अपील खारिज होने योग्य है।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज़ की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 05.05.2023 उचित है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निर्णय की प्रति के साथ मूल अभिलेख भरण–पोषण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नोहर को पालनार्थ लौटाया जावे। निर्णय की प्रति उभय पक्ष को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 05.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
अध्यक्ष अपीलीय अधिकरण
हनुमानगढ़